श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
माननीय मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड

गरिमा

बेहतर समाज की ओर एक कदम

Volume-11

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
माननीय मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड

संदेश

झारखण्ड में महिलाओं और किशोरियों के जीवन में बदलाव की नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं। राज्य सरकार और जेएसएलपीएस के सहयोग से महिलाएँ आत्मनिर्भरता, सम्मान और अधिकार की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रही हैं।

राज्य भर में चले नशा मुक्ति अभियान ने गाँव-गाँव में जागरूकता फैलाकर समाज को नशामुक्त और स्वस्थ बनाने की दिशा में अहम पहल की। वहीं उमंग परियोजना के अंतर्गत किशोरियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास देकर उन्हें सशक्त बनाया गया एवं नवा उमंग कार्यक्रम में उनको सम्मानित कर उनका आत्मविश्वास बढाया गया।

जेएसएलपीएस का सोशल डेवलपमेंट डोमेन महिलाओं को समाज में उनका हक दिलाने, उनके खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। यह पहल न केवल महिलाओं को मज़बूत बना रही है बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रख रही है। गरिमा पत्रिका आम जनता तक इन कहानियों को पहुँचाने का एक अनोखा जरिया है। पूरे राज्य में चल रहे सामाजिक विकास की गतिविधियों का महत्वपूर्ण व बेहतरीन संग्रह।

मैं सभी महिलाओं और किशोरियों को शुभकामनाएँ देती हूँ कि वे इसी तरह नई ऊँचाइयों को छूएँ और झारखण्ड को गर्वित करें।

(दीपिका पाण्डेय सिंह)

श्री के. श्रीनिवासन
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
झारखण्ड सरकार

संदेश

गरिमा पत्रिका,जेएसएलपीएस के सामाजिक विकास डोमेन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में हो रहे सकारात्मक एवं सशक्त बदलावों को दस्तावेज़ित कर व्यापक स्तर पर साझा करना है।

यह पत्रिका महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को समाप्त करने, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने तथा डायन कुप्रथा जैसी कुरीतियों के उन्मूलन से जुड़ी वास्तविक घटनाओं के निष्पादन का संकलन है। इसके साथ ही, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाए गए विभिन्न कानूनों की जानकारी भी इसमें उपलब्ध कराई जाती है, ताकि प्रत्येक महिला अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से परिचित होकर सशक्त बन सके।

गरिमा केवल एक पत्रिका ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, संवेदनशीलता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। इस उत्कृष्ट प्रकाशन के पीछे कार्यरत पूरी टीम बधाई की पात्र है।

(के. श्रीनिवासन)

नशामुक्ति अभियान :
"नशामुक्त झारखंड – सुरक्षित झारखंड" की ओर एक कदम

राज्य में 10 जून से 26 जून 2025 तक राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जेएसएलपीएस ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस अभियान की शुरुआत रांची के प्रोजेक्ट भवन से हुई और समापन समारोह शौर्य भवन, रांची में आयोजित किया गया।

हर जिले में उपायुक्तों ने अभियान का उद्घाटन किया और जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ हुईं। जेएसएलपीएस की टीम ने रैलियों, जनसभाओं और जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने resist.jharkhand.gov.in वेबसाइट और एक थीम बुकलेट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा– "हमें मिलकर नशा मुक्त समाज बनाना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।"

इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। समापन कार्यक्रम में जेएसएलपीएस के सीईओ श्री अनन्य मित्तल सहित कई विभागों के अधिकारी, छात्र, NGO प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यह अभियान समुदाय, सरकार और सिविल सोसाईटी की साझा भागीदारी का प्रतीक बना, जिसका लक्ष्य था – नशे से मुक्त एक बेहतर और जागरूक झारखंड का निर्माण।

अभियान में जेएसएलपीएस के सखी मंडल की महिलाओं की भूमिका बेहद सराहनीय रही। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया। सखी मंडल महिलाओं ने रैलियाँ निकालीं, रंगोली के ज़रिए संदेश दिए, शपथ कार्यक्रम आयोजित किए, मौन कैंडल मार्च और प्रभात फेरी जैसे आयोजन किए। इन गतिविधियों से समुदाय में सकारात्मक संदेश गया।

प्रभात फेरी/रैली -

इस अभियान के तहत सखी मंडल की महिलाओं द्वारा प्रभात फेरी और नशा विरोधी रैली निकाली गई। इस दौरान यह महिलाएं कतारबद्ध होकर गांव और कस्बों की गलियों, मोहल्लों, बाजार और स्कूलों से होकर गुज़रीं। हाथों में तख्तियाँ और बैनर लिए महिलाओं ने नारे लगाए और घर-घर जाकर ग्रामीणों से नशे के दुष्प्रभावों पर बात की। पूरे उत्साह और एकजुटता के साथ निकली प्रभात फेरी और रैलियां गांवो के हर कोने में नशा मुक्ति के संदेश फैलाने में सफल साबित हुईं।

रंगोली:

जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने रंगोली को एक रचनात्मक माध्यम के रूप में अपनाया। उन्होंने नशे की लत, उससे मुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली जैसे विषयों पर रंगोली बनाईं। ये रंग-बिरंगी रंगोलियाँ स्कूल परिसर, पंचायत भवन और सार्वजनिक स्थानों पर बनाई गईं। इन्हें देखकर गांव वालों में जिज्ञासा जगी और चर्चा शुरु हुई। बिना कुछ बोले ही इन रंगोलियों के ज़रिए महिलाओं ने नशामुक्त जीवन का सशक्त संदेश दिया।

शपथ ग्रहण:

सखी मंडल की बैठकों, ग्राम सभाओं और युवा क्लबों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में महिलाओं ने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ लेने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर नशामुक्त समाज के लिए एकजुट होकर संकल्प लिया। इस सामूहिक शपथ ने लोगों में जिम्मेदारी की भावना जागरूक की और आने वाली पीढ़ियों को नशे से बचाने के अभियान को मजबूती दी।

मेहंदी:

नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेहंदी को भी एक रचनात्मक माध्यम के रूप में अपनाया। उन्होंने अपने हाथों पर नशा मुक्ति से जुड़े संदेश, चित्र और प्रतीकात्मक डिज़ाइन मेहंदी से बनाए। इस कला के ज़रिए उन्होंने खासकर युवतियों और महिलाओं को आकर्षित किया और उन्हें नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। मेहंदी की यह पहल न केवल सुंदरता का प्रतीक बनी, बल्कि एक सशक्त सामाजिक संदेश भी बनकर उभरी।

नवा उमंग: सशक्त किशोरियों के लिए एक सशक्त झारखंड की दिशा में पहल

नवा उमंग: किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए, एक संवाद, कार्यक्रम का आयोजन, चाणक्य बीएनआर, रांची में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों के सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना और उनके अधिकारों और अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, झारखंड सरकार, ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया एवं विभिन्न संगठनों द्वारा की गई पहल की प्रशंसा की। माननीय मंत्री ने कार्यक्रम में आई हुई माताओं, उनकी बेटियों एवं अन्य बच्चियों के कार्य की प्रसंशा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, "माताएं अपनी बेटियों का आजीवन साथ निभाती हैं और उनकी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं।"

कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री द्वारा उमंग परियोजना के प्रतिभागियों एवं गोड्डा और जामताड़ा (जेएसएलपीएस) के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में किशोरियों को सशक्त बनाने की दिशा में चर्चा करने और काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्र के हितधारक एक साथ आए। इस कार्यक्रम में किशोरियों की करियर की मंशा और शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ाने में माताओं की भूमिका पर व्यावहारिक सत्र शामिल थे। विशेषज्ञों और हितधारकों ने किशोरियों को सशक्त बनाने में सहयोग और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने अनुभव और विचार साझा किए। जेएसएलपीएस के सीईओ श्री अनन्य मित्तल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहें।

जेएसएलपीएस एवं पीसीआई के संयुक्त प्रयास से उमंग परियोजना को झारखंड के गोड्डा और जामताड़ा जिलों में क्रियावन्दित किया गया। जिसका उद्देश्य, किशोरियों को स्कूल में बने रहने और बाल विवाह को कम करके सशक्त बनाना है।

नई शुरुआत की ओर एक कदम : अंजलि हांस की पहल बनी उम्मीद की किरण

नामकुम प्रखंड के मालती गांव की रहने वाली अंजलि हांस, जो ममता स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य और जेंडर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (जीसीआरपी) हैं, निरंतर अपने समुदाय में जरूरतमंद महिलाओं और परिवारों के साथ काम कर रही हैं। जेएसएलपीएस द्वारा समर्थित जमीनी ढांचे के माध्यम से अंजलि जैसी महिलाएं आज ग्रामीण बदलाव की अग्रदूत बन रही हैं।

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ अंजलि की समय पर की गई पहल ने एक परिवार की ज़िंदगी बदल दी। नामकुम प्रखंड के कुटियातू क्लस्टर का एक युवक बीते 6–7 वर्षों से नशे की लत से जूझ रहा था। नशे की वजह से परिवार में रोज झगड़े, मानसिक तनाव और गहरी अस्थिरता आ गई थी। धीरे-धीरे वह युवक घर के सामान बेचने लगा और हिंसक व्यवहार करने लगा। उसकी माँ, जो खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थीं, ने चुपचाप अंजलि से संपर्क किया।

अंजलि ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना और तुरंत पहल की। वह खुद उस युवक से मिलने गईं। बिना डांट-फटकार के उन्होंने सहानुभूति और समझदारी से उसे समझाया

कि नशा किस तरह से उसके जीवन और परिवार को बर्बाद कर रहा है।

अंजलि की बातों और लगातार संवाद के बाद युवक ने इलाज कराने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद अंजलि ने परिवार की मदद से कांके स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (सीआईपी) में उसका दाखिला सुनिश्चित कराया। अब उसका इलाज शुरू हो चुका है, और परिवार ने एक नई उम्मीद की ओर कदम बढ़ाया है।

सखी मंडल एवं जेंडर रिसोर्स सेंटर की पहल से मिली न्याय की राह

पूर्वी सिंहभूम की 25 वर्षीय रीना (काल्पनिक नाम) की कहानी उन सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, जो घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटा रही हैं। रीना की शादी को सात साल हो चुके थे, लेकिन शादी के दो साल बाद से ही उसका वैवाहिक जीवन संकटों से घिर गया। उसके पति न केवल उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, बल्कि एक अन्य विवाहित महिला से अवैध संबंध भी रखते थे।

रीना ने वर्षों तक यह सब सहा, लेकिन अंततः हालात से टूटकर वह अपने मायके लौट आई। गाँव में पंचायत स्तर पर कई बार बैठकें हुईं, लेकिन पति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब थाने में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब रीना की मां ने उसे जीआरसी (जेंडर रिसोर्स सेंटर) के बारे में बताया।

जीआरसी में आवेदन पंजीकृत होने के बाद, पारालीगल दीदी ने रीना के मामले को गंभीरता से लिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जब पति को सूचना दी गई, तो वह न केवल अनुपस्थित रहा बल्कि फोन पर धमकी भी दी कि "जो करना है कर लो, मैं नहीं मानूंगा।"

इसके बाद जीआरसी की टीम ने थाना में विधिवत लिखित शिकायत दी। जीआरसी के लगातार प्रयासों और दबाव के चलते पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब पति ने आखिरकार सरेंडर किया, तब पारालीगल दीदी के सहयोग और डालसा की सहायता से रीना को निःशुल्क कानूनी सलाहकार भी उपलब्ध कराया गया। अंततः उसका तलाक संपन्न हुआ और उसे उसके अपमानजनक वैवाहिक जीवन से मुक्ति मिली।

आज रीना स्वतंत्र जीवन जी रही है और अपने आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ते हुए सिलाई-बुनाई का प्रशिक्षण ले रही है। सखी मंडल और पारालीगल दीदियों की सजगता, समर्थन और सशक्त हस्तक्षेप ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि जीने की नई उम्मीद भी दी।

बुजुर्गों के लिए नई राह दिखाती रुकमनी एक्का

रांची के रातू प्रखंड के बड़काटोली की रुकमनी एक्का, जो प्रकाश महिला समूह की सक्रिय सदस्य, जेंडर सीआरपी और पारालीगल दीदी हैं, अपने गांव के बुजुर्गों के जीवन में नया उजाला ला रही हैं। रुकमनी ने हाल ही में 55 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को संगठित कर 'कमल बुजुर्ग समूह' का गठन किया है। इस समूह में रामकिशोरे मिंज, बिदेश उरांव, महावीर उरांव, संतोष उरांव, मोहन उरांव और बिरसा उरांव सहित कुल 10 बुजुर्ग सदस्य हैं।

रुकमनी का उद्देश्य केवल समूह बनाना नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना, आजीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, और मानसिक-सामाजिक रूप से सक्रिय रखना है। 'कमल बुजुर्ग समूह' की साप्ताहिक बैठकें होती हैं, जिनमें नियमित बचत और आवश्यकतानुसार ऋण देने की व्यवस्था भी है। रुकमनी के मार्गदर्शन में ये बुजुर्ग खेती और पशुपालन जैसे आजीविका के कार्यों से जुड़ रहे हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, बल्कि उनका सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

रुकमनी का कहना है कि शुरू में कुछ बुजुर्ग झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्हें रुकमनी ने सरकारी योजनाओं और समूह से जुड़ने के फायदों को समझाया गया, तो सभी ने समूह में शामिल होकर इसे एक सकारात्मक शुरुआत माना।

हाल ही में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में भी रुकमनी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने समूह की बैठकों में मादक पदार्थों के दुष्परिणाम पर विस्तार से चर्चा की। उनकी प्रेरक बातों का असर ऐसा हुआ कि समूह के सभी सदस्यों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया।

रुकमनी एक्का को उम्मीद है कि उनकी यह पहल अन्य वृद्ध नागरिकों को भी प्रेरित करेगी और जल्द ही गांव में अधिक वृद्ध समूह गठित होंगे।

बुजुर्ग समूह से बदली किस्मत : गुरु प्रसाद केसरा की सफलता की कहानी

रांची के सोनाहातु प्रखंड अंतर्गत बंगादार गांव के रहने वाले गुरु प्रसाद केसरा पहले बेरोजगार थे और परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। 23 जुलाई 2023 को जब वे "जय शंकर बुजुर्ग समिति" से जुड़े, तब से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। समिति के माध्यम से उन्होंने महिला ग्राम संगठन "बंगादार आजीविका महिला ग्राम संगठन" से जुड़कर ऋण प्राप्त किया और अपने घर में मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया।

आज गुरु प्रसाद केसरा की मासिक आमदनी लगभग ₹24,000 हो गई है। उन्होंने अपने व्यवसाय को विस्तार दिया और गांव-गांव जाकर मुर्गी बेचने लगे। उनकी पत्नी, कलावती देवी, भी अब आजीविका के क्षेत्र में सक्रिय हैं और सब्जी की खेती कर अपने उत्पाद गांव में बेचती हैं। दोनों मिलकर न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं, बल्कि अपने परिवार को खुशहाली की ओर भी ले जा रहे हैं।

गुरु प्रसाद जी ने अपनी मेहनत से एक बाइक भी खरीदी है, जिससे अब वे हाट-बाजार में जाकर व्यवसाय को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। यह कहानी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है।

नेवरी आजीविका न्याय सलाह केंद्र: महिलाओं के हक और न्याय का सशक्त मंच

कांके प्रखंड स्थित नेवरी आजीविका न्याय सलाह केंद्र (जीआरसी), ग्रामीण महिलाओं के लिए न्याय, आत्मनिर्भरता और बदलाव का मजबूत मंच बनकर उभरा है। यह केंद्र दो प्रशिक्षित पारालीगल दीदियों – सृष्टि महतो और पुष्पा देवी – द्वारा संचालित किया जाता है, जो खुद जेंडर सीआरपी के रूप में व्यापक अनुभव रखती हैं। कांके प्रखंड में कुल 13 जेंडर सीआरपीमहिलाएं हैं | सृष्टि और पुष्पा का चयन 2024 में विशेष रूप से पारालीगल के रूप में किया गया, जिसके बाद उन्हें विधिक जानकारी और कानून से जुड़ी प्रक्रियाओं का गहन प्रशिक्षण मिला।

पिछले एक वर्ष में इस जीआरसी केंद्र में 28 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनमें घरेलू हिंसा, डायन कुप्रथा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल रहे हैं। ये मामले अक्सर ग्रामीण स्तर पर बदलाव मंच, संकुल संगठन, ग्राम संगठन और सखी मंडल की बैठकों में सामने आते हैं, जहां संबंधित कमिटी के सदस्य पीड़ित महिलाओं की पहचान कर उन्हें केंद्र तक पहुंचाते हैं।

पुष्पा बताती हैं कि शिकायत का प्राथमिक स्तर सखी मंडल की बदलाव दीदी होती हैं, जो यदि मामला हल नहीं कर पातीं, तो उसे ग्राम संगठन, संकुल संगठन और अंततः जीआरसी केंद्र भेजा जाता है। जीआरसी में काउंसलिंग कर, केस की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग – जैसे पुलिस, बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक कल्याण विभाग या महिला आयोग – से जोड़ा जाता है। इन केसों को पारालीगल दीदियाँ निजी तौर पर लग कर सुलझाने के लिए तत्पर रहती हैं।

जीआरसी न केवल न्याय दिलाने में सहायक है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। यह महिलाओं को काउंसलिंग के जरिए उनकी सक्षमताओं के आधार पर विभिन्न अजीविकाओं से जोड़ने का काम भी कर रहा है।

पारालीगल होने के अलावा सृष्टि महतो, जो सहेली महिला समूह से जुड़ी हैं, खेती और पशुपालन से सालाना 5 लाख रुपये से अधिक की आमदनी करती हैं। वह गर्व से बताती हैं कि उनके पति इस पूरे काम में उनका पूरा साथ देते हैं। वहीं, पुष्पा महतो ने अपने आदिवासी महिला समूह से ₹4 लाख का ऋण लेकर हार्डवेयर की दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।

नेवरी जीआरसी केंद्र न सिर्फ कानूनी मदद देने का केंद्र बन चुका है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक नेतृत्व की मिसाल बन रहा है। यह बदलाव उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो वर्षों से चुप्पी और अन्याय का शिकार होती आई हैं।

बकरी पालन कर आत्मनिर्भरता की मिसाल बने धनश्वर महतो

हजारीबाग के पाबरा गांव के धनश्वर महतो दिव्यांग है। आजीविका के लिए वह दीवार पेंट एवं दिहाड़ी मजदूरी करते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आज अपने गांव में एक प्रेरणास्रोत बन गए हैं।

खुशी पीडब्ल्यूडी समूह से जुड़कर उन्होंने Sight Savers India और जेएसएलपीएस के सहयोग से RSETI, हजारीबाग में बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण में उन्हें कई जरूरी बातें सिखाई गईं, जैसे कि, बकरी का सही रख-रखाव और खाना, बीमारी से बचाव और टीकाकरण, नस्लों की पहचान और देखभाल आदि। पहले उनके पास केवल 2 बकरियां थीं, अब उन्होंने इसे एक छोटे व्यवसाय का रूप दे दिया है। खुशी समूह के तहत उन्हें ₹50,000 की आर्थिक सहायता मिली, जिससे उन्होंने 8 और बकरियां खरीदीं।

आज धनश्वर बकरी पालन और मजदूरी दोनों से हर महीने लगभग ₹15,000 की कमाई कर रहे हैं । इस आमदनी से उनका परिवार अब बेहतर जीवन जी रहा है और वे भविष्य में अपने व्यवसाय को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

संकट से संबल तक : रूसो देवी के सफल होने की यात्रा

रूसो देवी रांची के कांके प्रखंड स्थित नेवरी गांव की निवासी हैं और जोहार वृद्ध समूह की सक्रिय सदस्य हैं। पति और बेटे के निधन के बाद उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उनके परिवार में अब बहु और तीन पोतियाँ हैं। बहु मजदूरी कर के थोड़ी बहुत आमदनी करती थीं, लेकिन उससे पूरे परिवार का खर्च और पोतियों की पढ़ाई सम्भव नहीं हो पा रही थी।

इस कठिन परिस्थिति में वृद्ध समूह और पारालीगल सृष्टि महतो व पुष्पा देवी की मदद से रूसो देवी को ₹10,000 का लोन प्राप्त हुआ। इस धनराशि से उन्होंने अपने गांव में एक छोटी सी किराना दुकान शुरू की। दुकान के साथ-साथ वे मजदूरी का काम भी करती हैं। इन दोनों स्त्रोतों से अब उन्हें हर महीने ₹10,000 से ₹15,000 की आय हो रही है।

इस आमदनी ने न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि अब वे अपनी पोतियों को बेहतर शिक्षा भी दिलवा पा रही हैं। रूसो देवी आज न केवल अपने लिए बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गई हैं कि उम्र या परिस्थिति चाहे जैसी हो, आत्मनिर्भरता की राह हमेशा खुली रहती है।

गुमशुदा बच्ची की सुरक्षित वापसी

पलामू के वन क्षेत्र में बसे बांसी खुर्द गांव की एक नाबालिग लड़की आर्थिक तंगी के कारण तस्करों के बहकावे में आकर गांव के एक पड़ोसी के साथ काम करने के बहाने निकल गई। मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठते समय हुई बातचीत से

बच्ची को शक हुआ और उसने अपनी मां को फोन किया। तस्करों को इसकी भनक लगते ही वे गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़कर भाग गए।

बच्ची पूरी रात स्टेशन पर भटकती रही। अगले दिन उसने चना बेचने वाले के मोबाइल से मां को कॉल कर अपनी लोकेशन बताई। इस बीच जेंडर सीआएपी और जेएसएलपीएस टीम ने बच्ची की फोटो और जानकारी 1098 व चाइल्डलाइन को दी, साथ ही जिले के वरीय पदाधिकारियों व मीडिया को भी सूचित किया। गाजीपुर की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने तुरंत बच्ची को रेस्क्यू कर सुरक्षित रखा।

अगले दिन बच्ची की मां गाजीपुर पहुंचीं। कई कठिनाइयों के बावजूद सोमवार को आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर बच्ची को घर लाया गया। बच्ची सुरक्षित है और खुश है कि वह अपने घर लौट पाई। उसका स्कूल में पुनः नामांकन कर शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इस रेस्क्यू में जेएसएलपीएस की जेंडर सीआरपी की सक्रियता और तत्परता ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली।

नशे से संबंधति रोकथाम की रणनीतियां

नए उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करने की रणनीतियाँ

- नशा के प्रकार और उनके दुरूपयोग की संभावना तथा नशा के उपयोग के विभिन्न पैटर्न के बारे में आवश्यक जानकारी
- विभिन्न नशा के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में आवश्यक जानकारी
- नशा के उपयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथा पारिवारिक कारकों के बारे में आवश्यक जानकारी।

नशा का सेवन करने वाले लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की रणनीतियाँ

- प्रेरणा चरणों (चक्र) के बारे में जानकारी
- लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्णय मैट्रिक्स का उपयोग कैसे करें, इस बारे में जानकारी
- रिलैप्स रोकथाम के उपाय

नए उपयोगकर्ताओं को रोकने की रणनीतियां

- मादक पदार्थों का सेवन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है, जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित कर रहा है।
- प्रारंभिक शुरुआत अक्सर गंभीर दीर्घकालिक परिणामों से जुड़ी होती है, जिसमें लत, स्वास्थ्य में गिरावट और सामाजिक अलगाव शामिल हैं।
- नए उपयोगकर्ताओं को नशा के उपयोग के जोखिमों और वास्तविकताओं के बारे में शिक्षित करना एक निवारक उपाय के रूप में काम कर सकता है।
- विभिन्न प्रकार के नशा और उनके प्रभावों को समझने से व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- नए उपयोगकर्ताओं को मादक द्रव्यों के उपयोग के जोखिम, इसके हानिकारक प्रभावों और व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को समझना।

मादक पदार्थों की वर्गीकरण

उत्तेजक पदार्थ

- सतर्कता, ऊर्जा और ध्यान बढ़ाना (कोकीन, मेथमफेटामाइन, एम्फ़ैटेमिन)।
- जोखिम: लत लगने की उच्च संभावना, हृदय गति में वृद्धि, चिंता और शक करने की प्रवृति।

अवसादक

- मस्तिष्क के कार्य को धीमा करना और विश्राम को प्रेरित करना (शराब, बेंजोडायजेपाइन, बार्बिटुरेट्स)
- जोखिम: ओवरडोज, बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य, निर्भरता का जोखिम।

आपियोडस/ अफीम वर्ग के पदार्थ

- असरदार दर्द निवारक पदार्थ (हेरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन)।
- जोखिम: लत की संभावना, श्वसन विफलता और ओवरडोज।

कैनेबिनॉएड्स/ गांजा

- विश्राम की स्थिति और परिवर्तित ज्ञानेन्द्रियाँ (जैसे, मारिजुआना, हशीश) उत्पन्न करता है।
- जोखिम: संज्ञानात्मक हानि, चिंता, लंबे समय तक उपयोग के साथ निर्भरता।

दुरुपयोग की प्रवृति

निर्भरता और लत को समझना:

- नशा /नशीली दवाओं का दुरुपयोग मस्तिष्क के reward pathways को बाधित करता है, जिससे लालसा और निर्भरता पैदा होती है।

- ❖ बार-बार उपयोग से सहनशीलता बढ़ती है, और उसी प्रभाव के लिए अधिक नशा की आवश्यकता होती है।
- ❖ अधिक दुरूपयोग की संभावना के संकेतक
- ❖ प्रभाव की तीव्र शुरुआत।
- ❖ तीव्र उत्साहपूर्ण अनुभव।
- ❖ प्रभाव की छोटी अवधि जिसके कारण बार-बार उपयोग करना पड़ता है।

सेवन के तरीके

प्रायोगिक उपयोग - जिज्ञासा या दोस्तों के प्रभाव से होने वाला आवश्यक सेवन

सामाजिक या मनोरंजक उपयोग- सामाजिक वातावरण में आनंद बढ़ाने हेतु

परिस्थितिजन्य उपयोग - विशेष परिस्थितियों में सेवन(तनाव)

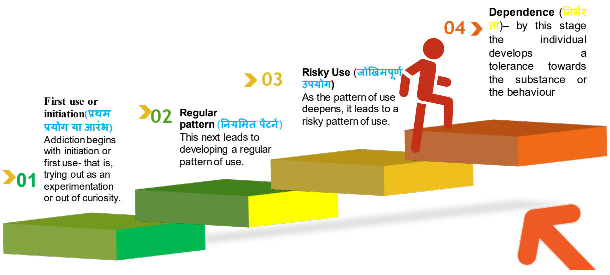

विभिन्न नशाओं के उपयोग के हानिकारक प्रभाव

शारीरिक प्रभाव (अल्पकालिक प्रभाव)

- ❖ शरीर से संतुलन में गड़बड़ी, तेज धड़कन, डिहाइड्रेशन, उल्टी.

(दीर्घकालिक प्रभाव)

- ❖ अंगों की क्षति (लीवर, हृदय, फेफड़ा)
  रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मानसिक असंतुलन

(नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़ी दीर्घकालिक बीमारियाँ)

- ❖ हैपेटाइटिस, एचआईवी/एड्स (साझा सूई) सांस की बीमारी.

मानसिक स्वास्थ्य विकार :

- ❖ अवसाद, चिंता, मनोदशा में उतार-चढ़ाव, शक करने की प्रवृति और मतिभ्रम

संज्ञानात्मक हानि :

- ❖ स्मृति हानि, समस्या समाधान कौशल में कमी, निर्णय क्षमता में कमी।

व्यवहारगत परिवर्तन:

- ❖ आक्रामकता, परिवार और सामाजसेअलगाव, जोखिम उठाने वाला व्यवहार।

सामाजिक परिणाम

पारिवारिक विघटन

शैक्षिक और रोजगार संबंधी मुद्दे

नशा/नशीली दवाओं के उपयोग के लिए व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पारिवारिक कारक जिम्मेदार हैं

व्यक्तिगत कारक

व्यक्तित्व लक्षण:

- ❖ आवेगशीलता, उत्तेजित व्यवहार और जोखिम लेने वाला व्यवहार।

मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां:

- ❖ अवसाद, चिंता, PTSD और ADHD से बेध्यता बढ़ जाती है।

आनुवंशिक प्रवृत्ति:

- ❖ मादक द्रव्यों के सेवन का पारिवारिक इतिहास जोखिम को बढ़ाता है

सामना करने के तरीके

- ❖ भावनात्मक दर्द या आघात से बचने के लिए मादक द्रव्यों का प्रयोग।

तनाव और आघात

- ❖ बचपन में आघात, दुर्व्यवहार और दीर्घकालिक तनाव महत्वपूर्ण ट्रिगर हैं।

भावनात्मक बेध्यता

- ❖ भावनाओं को प्रबंधित करने में कठिनाई से उपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

सामाजिक कारक

साथियों का दबाव

- ❖ किशोरावस्था और युवावस्था में प्रबल प्रभाव

सामुदायिक प्रभाव

- ❖ अधिक जोखिम वाले वातावरण जहां नशा आसानी से उपलब्ध हों।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

- ❖ गरीबी और शिक्षा की कमी।

परिवार का गतिविज्ञान

माता-पिता का प्रभाव

- ❖ परिवार में मादक द्रव्यों के सेवन से ये व्यवहार सामान्य समझा जाता है।

उपेक्षा और संघर्ष

- ❖ पारिवारिक विघटन और अनसुलझे संघर्षों से असुरक्षा बढ़ती है।

सहायक बनाम जोखिमपूर्ण वातावरण

- ❖ मजबूत पारिवारिक सम्बन्ध सुरक्षात्मक कारक के रूप में काम कर सकते हैं।

प्रेरक चक्र

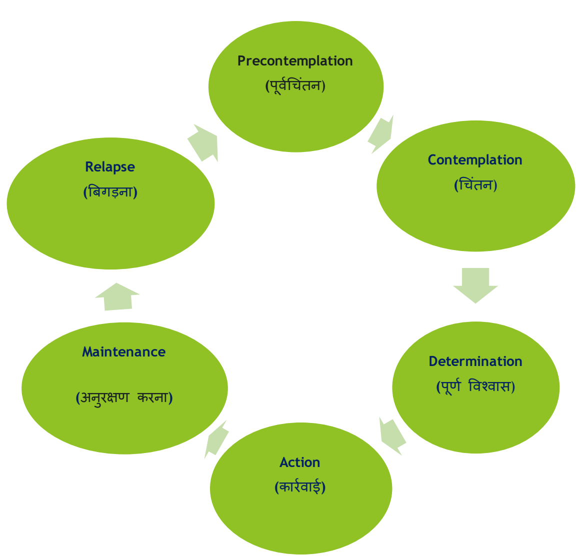

लत छोड़ने हेतु डिसिजन मेट्रिक्स का उपयोग

Decision matrix एक ऐसा साधन है जो लोगों को विभिन्न विकल्पों के पक्ष और विपक्ष की तुलना करके बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है। जब किसी को नशा/नशीली दवाओं का उपयोग छोड़ने के बारे में सोचने में मदद की जाती है, तो आप इस मैट्रिक्स का उपयोग करके नशीली दवाओं का उपयोग जारी रखने और छोड़ने दोनों के लाभ और लागतों को स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं।

एमआई तकनीक का उपयोग

"एमआई संचार की एक सहयोगात्मक, लक्ष्य-उन्मुख शैली है जिसमें परिवर्तन की भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे स्वीकृति और करुणा के माहौल में परिवर्तन के लिए व्यक्ति के अपने कारणों को उजागर करके और उनका पता लगाकर किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत प्रेरणा और प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" (मिलर और रोलनिक, 2013)

हिम्मत

- ❖ विसंगति विकसित करें
- ❖ बहस से बचें
- ❖ प्रतिरोध के साथ आगे बढ़ें
- ❖ आत्म-प्रभावकारिता का समर्थन करें

रिलैप्स रोकथाम के उपाय:

लालसा को कैसे नियंत्रित करें?

- ❖ ट्रिगर को समझें
- ❖ आग्रह को विलंबित करें

- गहरी साँस लें
- सकारात्मक आत्म-चर्चा करें
- किसी से बात करें
- व्यस्त रहें

साथियों के दबाव से निपटने के लिए दृढ़ निश्चयी कैसे बनें?

- स्पष्ट रूप से "नहीं" कहें
- ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक का उपयोग करें
- कोई कारण या बहाना बताइए
- सीमाएँ निर्धारित करें

बीमारी के पुनः उभरने के अधिक जोखिम वाली स्थितियों की पहचान कैसे करें और उनसे कैसे बचें?

- अपने ट्रिगर्स को जानें
- अधिक जोखिम वाली स्थिति की सूची बनाएं
- जोखिमपूर्ण स्थिति के लिए योजना बनाएं
- संतुलित सामना करने की शैली का इस्तेमाल करें
- सहायक परिजनों को साथ रखें

तनाव से कैसे निपटें?

- पहचानें आपका तनाव क्या है
- इस बारे में बात
- अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें
- विश्राम तकनीक का उपयोग करें
- सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें

प्रतिभागियों के लिए मुख्य संदेश

- नशा/नशीली दवाओं के उपयोग में योगदान देने वाले कारकों को संबोधित करें
- मानसिक स्वास्थ्य और नशा के उपयोग के बीच संबंध को समझें
- अपुर्वाग्रही दृष्टिकोण से नशे को देखे
- नशा का उपयोग स्वास्थ्य, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जोखिमों की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है
- निर्णय मैट्रिक्स और DARES जैसी तकनीकों का उपयोग करें
- अधिक जोखिम वाली स्थितियों को स्वीकार करें और संतुलित सामना करने की शैली का इस्तेमाल करें

जीरो एफआईआर

"जीरो एफआईआर" (Zero FIR) वह एफआईआर है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, भले ही अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो. इसका उपयोग तब किया जाता है जब अपराध किसी ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जो किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. "जीरो" नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस तरह की एफआईआर दर्ज करते समय कोई नियमित एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता है, इसे शून्य (0) नंबर से दर्ज किया जाता है. बाद में, इसे उचित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है

जीरो एफआईआर का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बगैर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन गए, जल्दी और आसानी से शिकायत दर्ज कराने में सहायता करना है।
- यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों की रिपोर्टिंग में देरी न हो
- यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ न हो.
- यह पीड़ितों को किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने में आसानी प्रदान करना है, चाहे अपराध उनके घर के पास हुआ हो या किसी अन्य स्थान पर.

जीरो एफआईआर कैसे दर्ज करें:

1. आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
2. पुलिस स्टेशन को आपकी शिकायत दर्ज करनी होगी, भले ही अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो.
3. पुलिस स्टेशन आपकी शिकायत को जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करेगा और फिर इसे उचित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देगा.
4. आप उस पुलिस स्टेशन से अपनी शिकायत की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं.

जीरो एफआईआर का कानूनी आधार:

- जीरो एफआईआर, जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद पेश की गई थी.
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों से भी जीरो एफआईआर का प्रावधान समर्थित है.
- 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि अगर किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा हो, तो एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है.

S. No	FIR	0 FIR
1	एफआईआर (FIR) उस पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई है	जीरो एफ़आईआर (Zero FIR) किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी हुई हो
2	जब कोई अपराध किसी विशेष पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में होता है, तो उस थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है।	जब कोई अपराध किसी ऐसे स्थान पर होता है जो किसी भी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या जब पीड़ित को यह पता नहीं होता कि घटना किस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई है, तो जीरो एफआईआर दर्ज की जाती है।
3	एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है	जीरो एफआईआर के लिए अधिकार क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं होती।
4	एफआईआर अपराध संख्या के साथ दर्ज की जाती है।	जीरो एफआईआर अपराध संख्या के बिना दर्ज की जाती है
5	एफआईआर (FIR) का मुख्य उद्देश्य है आपराधिक कानून को सक्रिय करना और पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की जांच शुरू करने के लिए अधिकृत करना।	जीरो एफआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए, भले ही अपराध किस क्षेत्र में हुआ हो।
6	–	जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस संबंधित पुलिस स्टेशन को मामले को स्थानांतरित कर देती है, जहां उचित कार्रवाई की जाती है।

अखबारों में अभियान...

बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलायें

दुलमी. दुलमी प्रखंड में जेंडर रिसर्च सेंटर की सलाहकार समिति की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित मिश्रा ने की. बैठक में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, नशा उन्मूलन और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि सेंटर में घरेलू हिंसा मामले का समाधान किया गया. भालू गांव के एक ही परिवार के तीन बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना था. इस पर बीडीओ ने कहा कि ब्लॉक स्तर से पत्र जारी कर आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. नशा उन्मूलन व बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया. मौके पर एमओ डॉ मिहिर कुमार झा, सुजीत कुमार सिंह, निमा नीलम भेंगरा, मनीषा कुमारी, एस नाज, अनिल कुमार मौजूद थे.

चितरपुर प्रखंड में जेंडर रिसोर्स सेंटर सलाहकार समिति गठित

प्रातः आवाज

रामगढ़। चितरपुर प्रखंड सभागार में बुधवार को बीडीओ की अध्यक्षता में जीआरसी सलाहकार समिति का गठन किया गया। जेंडर रिसोर्स सेंटर सलाहकार समिति के सदस्य कौन कौन होंगे। जीआरसी सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दीपक मिंज होंगे और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक लुकेश्वर साव संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। प्रखंड प्रमुख,

को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। सलाहकार समिति प्रखंड के

थाना प्रभारी प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह, आश्रेंद्र कुमार, क्षेत्रीय

मादक पदार्थों के दुरुपयोग को लेकर चला अभियान

रामगढ़. जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने व इसके दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दस जून से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों में 100 से अधिक जेंडर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जेंडर सीआरपी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है. इन जेंडर सीआरपी को मादक पदार्थों के दुरुपयोग, इसके प्रभाव, युवाओं पर पड़ने वाले

महिला हिंसा व उत्पीड़न रोकने की बनी रणनीति

दुलमी, निज प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में मंगलवार को जेंडर रिसोर्स सेंटर सलाहकार समिति की बैठक हुई। जेंडर रिसोर्स सेंटर सलाहकार समिति में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, नशा उन्मूलन और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर गंभीर से चर्चा हुई। इसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया।

अध्यक्षता बीडीओ अमित मिश्रा ने किया। बैठक में घरेलू हिंसा के मामलों का समाधान बताया गया कि जीआरसी में प्राप्त सात घरेलू हिंसा के मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। जिससे पीड़ित महिलाओं को राहत मिली। भालू गांव के एक परिवार के तीन बच्चे, जिनमें एक 18 वर्षीय लड़की भी शामिल है, का आधार कार्ड नहीं बना है। इस पर बीडीओ ने आश्वासन दिया कि ब्लॉक स्तर से पत्र जारी कर आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नशा उन्मूलन और बाल विवाह की रोकथाम हेतु बीडीओ ने समूह की बैठकों में नशा उन्मूलन और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर दिया।

महिलाओं ने नशामुक्ति अभियान में हिस्सा लेकर समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया

मांडर। जेएसएलपीएस महिला समूह के द्वारा नशामुक्ति अभियान के तहत महिलाओं की ओर से पैदल कैंडल मार्च निकालकर एक विशेष जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया। जे सी अर पी ब्लॉक नोडल नीलम बेक की नेतृत्व में जे एस एल पी एस महिला समूह सहित गांव की महिलाओ ने नशामुक्ति अभियान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेकर समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।

महिलाओ ने पैदल रैली निकालते हुए पोस्टर प्रदर्शन, नशा–विरोधी नारों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को लोगों को बताया। रैली की सुरुवात मांडर मिशन क्रिस्त कॉलोनी से लेकर कांस्टेंट लीवेंस हॉस्पिटल से होते हुए काटचाचो गांव पहुंचकर रैली का समापन किया गया। मौके पर नीलम बेक, सीता देवी, मानिता खलखो, सुशीला करकेट्टा, सुष्मा मिंज, कर्मला बरबरा मिंज, राधा देवी, बसो देवी समेत अन्य महिलाओं भी उपस्थित थी।

नशा मुक्ति अभियान चलाया गया

मांडर। मांडर प्रखंड के कटचाचो गांव में जे एस एल पी एस समूह के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। यह नशा मुक्ति अभियान जे सी अर पी ब्लैक नोडल नीलम बेक की अध्यक्ष में सम्पन हुई। जिसमे जे एस एल पी एस समूह के अतिरिक्त गांव की महिला ने भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली कटचाचो अखरा स्थल

सहायता के लिए संपर्क करें

दीदी हेल्पलाइन नं 1800-4190-400 / 1800-4197-400

पलाश

(झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी)
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

www.jslps.in
@onlineJSLPS
@JSLPSlive
@online.JSLPS